कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 224/2 ई0व0भू0 दिनांक 22/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः— जनपद बागेश्वर में नरगोली—सिमायल—भण्डारीसेरा—सलिया—जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/11/2019/एफ0सी0/1199 दिनांक 09.09.2020.

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी —प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः—**	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयाक्ता अभिकरण की लागत पर 4.8684 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम किलपारा सिविल खसरा नं0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जॅहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.8684 है0 ग्राम किलपारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु रू0 16,41,547.00 मात्र (रू0 सोलह लाख इकतालीस हजार पॉच सौ सेंतालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021032417601145 Dtd 24.03.2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.8684 है0 ग्राम किलपारा का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 23/छब्बीस—02 वन(क्ष0वृ0)/2023—24 दिनांक 20.01.2024 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। **(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न—1।)**

डिस्पैच
प्राप्त 23/1/2024
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नंही किया गया है।		कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
4	**शुद्व वर्तमान मूल्य**	
(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA न0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003 एंव 2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एंव 5–3/2007–एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिदेशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहतः **2.4342** है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।		एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR52021032417601145 Dtd 24.03.2021 द्वारा रू0 15,99,269.00 मात्र (रू0 पन्द्रह लाख निरानबे हजार दो सौ उनसत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है **(चालान की प्रति संलग्न–2)।**
(ख) विशेशज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो,जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयाक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्त्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता **(प्रमाण पत्र संलग्न–3)।**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 167 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	State Govt. will submit the VLC proceedings of village Simayal.	VLC proceedings of village Simayal is enclosed in 5 copies. **(प्रमाण पत्र संलग्न–4)।**
7	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. Will strictly monitor and ensure the no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	गाईडलाइन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिचित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने के दिंनाक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नंही की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा)
8	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in.) के माध्यम से क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किया गया है **(चालान की प्रति संलग्न)।**

9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–5)**
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षणः अधिनियम 1986 के प्रावधानों के क्रम मे प्रस्ताव में प्रारूप सं0–54 के नुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नंही है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नंही बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नंही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नंही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेशज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेशज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण साम्रगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नंही बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण साम्रगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नंही बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नही किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नंही किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नंही किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एंव पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 का उल्ल्घन होगा एंव पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

22/01/24

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

CBPage46

पत्रांक – 642 /कैश,   दिनांक 24-3-21

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0– 285816 दिनांक 19.03.2021 ₹ 3240816.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896116904149 IFSC Code- CORP0000371 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैकर्स चैक सं0–285816 दिनांक 19.03.2021 ₹ 3240816.00 मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

पत्रांक :–   /कैश,   तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

UTR
SBINR52021032417601145
on. 24/03/2021

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

Bageshwar
24/03/21

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-03-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116904149
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/11/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	3240816/-

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Forty Thousand Eight Hundred and Sixteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-03-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116904149
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/11/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	3240816/-

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Forty Thousand Eight Hundred and Sixteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

U.T.R. No-

(SBINR 52021032417601145)

Dt- 24/03/2021

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 1116 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 08 / 10 / 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भण्डारीसेरा–सलिया–जन्यूडाबांस मोटर के निर्माण हेतु 2.4342 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं- 16904/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्राक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 11 / 2019 / एफ0सी0 / 1199 दिनांक 09.09.2020।
2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सडक के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन सरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क –972 / 3–5–2 दिनॉक 21.11.2017 के द्वारा निर्धारित दरो के कम में वर्ष 2020–21 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	2.4342 हे0	5	0.3	6,57,000.00	15,99,269.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4.8684 हे0	''–''	''–''	3,37,184.00	16,41,547.00

RN. 2402 / 25 व. मृ.
DFO / AE(1) / वनभूमि सहायक

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

8/10/2020

"D:\samany 2018-19\land transfer\demand note.docx"

आदेश.

तहसीलदार कपकोट के पत्र संख्याः 106 /आर0के0–विविध/2023–24 दिनांक 18 जनवरी, 2024 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत नरगोली– सिमायल–भण्डारीसेरा– सलिया–जन्यूडाबांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342है0 की दुगुनी 4.868है0 भूमि, जो ग्राम किलपारा, बदियाकोट,तहसील कपकोट के गैर ज0वि0 श्रेणी 9(3)ख(2) के ख0खा0 संख्या–80 के पैमाईशी खेत नं0 01 के रकवा 2.166है0 एवं पैमाईशी खेत नं0 05 मध्ये रकवा 2.702है0 इस प्रकार कुल 4.868है0 भूमि को शासनादेश संख्याः 8बी/यू0सी0पी0 /06/11/2019/एफ0सी0/1199 दिनांक 09.09.2020 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्याः 23 /छब्बीस–02/वन(क्ष0वृ0)/2023–24 दिनांक 20/01 /2024

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी,कपकोट।
03. अधिशासी अभियन्ता,प्रा0ख0,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
04. तहसीलदार कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि को हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण–पत्र के वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No----Memo-----

Dated----30-10-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.4342 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Nargoli-Simayal-Bhandarisera-Saliya-Jagurabas motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Nargoli, Simayal, Bhandarisera, Saliya and Kafali** villages in **Kanda** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.4342 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-4.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 30-10-2015

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 30.10.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा नरगोली–सिमायल–भंडारीगांव–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, द्वारा नरगोली–सिमायल–भंडारीगांव–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर नरगोली–सिमायल–भंडारीगांव–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा नरगोली–सिमायल–भंडारीगांव–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर जिलाधिकारी बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– **जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भंडारीसेरा–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– कांडा

उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नरगोली–सिमायल–भंडारीसेरा–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.4624 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 1.9718 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 2.4342 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक ...28.10.2015....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्रीमती रेखा कोहली, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री के0एस0रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्री कुन्दन सिंह कोरा	बी0डी0सी0 क्षेत्र टकनार	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नरगोली–सिमायल–भंडारीसेरा–सलिया–जेग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.4342 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नरगोली–सिमायल–भंडारी–सेरा–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भंडारीखेत–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित नरगोली–सिमायल–भंडारीखेत–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.4342 .है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 30.10.2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलव्ध करया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भंडारीगांव–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....नरगोली

तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में नरगोली–सिमायल–भंडारीगांव–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.4342 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....नरगोली.....द्वारा दिनांक 21.1.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है;

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...नरगोली...एवं तोक...सिमायल.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ...नरगोली........
वि0ख0/जनपद-बागेश्वर

सरपंच
वन पंचायत नरगोली
जिला– बागेश्वर

ह0/ प्रधान
ग्राम पंचायत नरगोली
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 जनपद बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–मंडारीगांव–सलिया–जग्थूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनाक 21/10/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नरगोली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अनिल रौतेला	[illegible]
2	महेश रौतेला	[illegible]
3	[illegible] रौतेला	[illegible]
4	दीवान राम	दीवान राम
5.	माधवानन्द पन्त	[illegible]
6	नवीन चन्द्र पन्त	[illegible]
7.	अमित पन्त	[illegible]
(8)	भूपेन्द्र सिंह	[illegible]
(9)	Pankaj singh	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	द्रोपती देवी	विजय
12	मनोज रौतेला	द्रोपती देवी
13	सावित्री रौतेला	[illegible]
14	[illegible]	सावित्री रौतेला
15		[illegible]
16		
17		
(18)	[illegible]	[illegible]
(19)	पुष्पा रौतेला	पुष्पा रौतेला

[illegible]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र नरगोली
वि0ख0/जनपद बागेश्वर

[illegible]
सरपंच
बन पंचायत नरगोली
जिला– बागेश्वर

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत– नरगोली
वि0 ख0 व जनपद– बागेश्वर

प्रपत्र– 51

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–मंडारीखेत –
सलिया--जग्यूड़ाबांस मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाशः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/11/2019/एफ0सी0 /1199 दिनांकः 09/09/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :जनपद – बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भण्डारीसेरा–सलिया–जन्यूडाबांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1314/x-4-18/1(177)/2018 दिनांक 08.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/16904/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.08.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – बागेश्वर **में नरगोली–सिमायल–भण्डारीसेरा–सलिया–जन्यूडाबांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.8684 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम किलपारा सिविल खसरा नं0 01 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **2.4342** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 167 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6- State Govt. will submit the VLC proceedings of village Simayal.

10 JAN 2024

कार्यालय तहसीलदार कपकोट, जनपद बागेश्वर।

संख्या 106 /आर0के0–विविध/2023–24 दिनांक 18 जनवरी, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भण्डारीसेरा–सलिया–जन्यूडावांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 50/छब्बीस–3(19–20)वन (क्ष0वृ0)/2023 दिनांक 09.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भण्डारीसेरा–सलिया–जन्यूडावांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम किलपारा की सिविल सोयम की दुगुनी 4.868 है0 भूमि हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में प्रकरण पर राजस्व उपनिरीक्षक, बदियाकोट से जॉच करायी गयी। प्रकरण पर राजस्व उपनिरीक्षक, बदियाकोट की आख्या अनुसार ग्राम किलपारा, बदियाकोट के गैर ज0 वि0 श्रेणी 9 (3) ख(2) के ख0खा0 संख्या 80 के पै0 खेत नं0 01 के रक्वा 2.166 है0 एवं पै0 खेत नं0 05 मध्ये रक्वा 2.702 है0 इस प्रकार कुल 4.868 है0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न– 08 पृष्ठ मूल में।

भवदीय,

तहसीलदार,
कपकोट।

मौका खसरा

ग्राम किलफरा रा०उ०नि० क्षेत्र बदियाकोट तह० कपकोट जनपद बागेश्वर

विषय ⇒ नरगोली-किमाणक-मलझरी बेरा-खलिफा-जाखुधानक मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि बावत

खसरा संख्या	रकबा	खाता संख्या	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	रकबा है०	खाता संख्या	कब्जेदार	विवरण
1	2.166	80	जंगल	01	2.166	80	राज्य सरकार	महोदय प्रस्तावित भूमि में जगह-जगह पेड़ खड़े हैं तथा ढाल का भूमि है।
05	2.780			05 म०	2.702			
			योग	02	4.868			

महोदय

मौका खसरा तैयार किया।

[illegible signature]

[illegible]/01/2[illegible]

बदियाकोट

कपकोट

बागेश्वर।

नॉन जेड ए वि० उद्धरण खतौनी

ग्राम - किलवारा रा० उ० नि० क्षेत्र बादिपाकोट तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर
श्रेणी ६(१)(क)१२ ऊसर भूमि जो किसी अन्य प्रकार के पेड़ (वृक्ष) आदि से आच्छादित है।

खाता संख्या	खातेदार का नाम	फ० सं०	खेत संख्या	रकबा	लगान	विवरण
३०	जंगल		१	१०८।-	मुकुटी	
			२	६२।		
			३	११८।।=		
			५	१३९=		
			२९	४३=		
			३९	२५३।।।=		
			४०	७३१।		
			४१	२२५।।=		
			७२	२८१।		
			७३	१४०।।=		
			क्रमशः			
			४५२	६२।।		
			४५३	४६।।।=		
			४५८	४६।।।=		
			६४४	२१८।।।		
			६४५	२१८।।।		
			६४६	१२५		
			६४७	२००		
			४०	७६६९।।।=		

महोदय

असल से तैयार किया।

[illegible]
11/01/2024
बादिपाकोट
कपकोट
बागेश्वर